

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक-1.4.2001 के प्रभाव से 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के संबंध में ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-एफ-5(1) पी.डी./2001-2002 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक-1.4.2001 से सभी राज्य कर्मियों के लिये भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) निर्धारित की जाय । इस संबंध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना सं. 4968 दिनांक 19.7.2000 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा ।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से यह लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ली० एवं ह०), बिहार एवं झारखंड पटना / राँची को प्रेषित किया जाय ।

ह०/-

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-

/वि० पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना, हीनू, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-

3317 -

/वि० पटना, दिनांक- 1-6-2001

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
उन्से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक हजार प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा-6 को उपलब्ध करायी जाय ।

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।

ज्ञापक- 21/21/01 1/10 पटना, दिनांक 1.6.2001
प्रतिलिपि - निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विहार विधान सभा तथा सचिव, विहार विधान परिषद, पटना
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(21/5/2001)

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।

ज्ञापक-

3307

(3) 1/10 पटना, दिनांक- 1.6.2001

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

(21/5/2001)

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।

ज्ञापक-

3307

(2) 1/10 पटना, दिनांक- 1.6.2001

प्रतिलिपि - अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त विभाग/मुख्य लेखा नियंत्रक वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, निदेशालय/भविष्य निधि निदेशालय, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारभाग, पटना/प्रेस क्लर्क/सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण विद्यालय/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कार्मिकों को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

(21/5/2001)

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)
बिहार, पटना ।